राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या–82/2022
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/149
3. दायर दिनांक– 24.11.2022
4. निर्णय दिनांक– 28.06.2023

1. पवित्र कोठारी पुत्र सुरेन्द्र सिंह कोठारी जाति महाजन, निवासी सुजानगढ़ जिला चुरू, हाल नि0 नवीं मुम्बई (महाराष्ट्र)

....वादी

बनाम

1. जिनकू पत्नि हीरा
2. पूरण मल पुत्र हीरा
3. मैना जांगिड़ पुत्री हीरा
4. राधा देवी पुत्री हीरा
5. लालचन्द जांगिड़ पुत्र हीरा.
   सर्वजाति खाती, सर्वनिवासी ग्राम सिनोदिया तह0 रूपनगढ़
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
7. उपपंजीयक रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–: 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये विक्रय पत्र के द्वारा ग्राम सिनोदिया(नवीन घोषित ग्राम शिवनगर) पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 32 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा हिस्सा सम्पूर्ण को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज पति/पिता श्री हीरा पुत्र रतना जाति खाती से पूर्ण प्रतिफल राशि 41000/– अक्षरे इकतालीस हजार रूपये अदा करके दिनांक 13.05.1991 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय; किशनगढ़ में दिनांक 13.05.1991 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 210 कम संख्या 658 पृष्ठ संख्या 325 से 326 तक पंजीयन किया गया तथा अतिरिक्त फाइल बुक की जिल्द संख्या 204 कम संख्या 658 के पृष्ठ संख्या 110 से 115 तक चस्पा किया गया। वादी का खरीद दिनांक से आज तक निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया के ख0न0 32 रकबा 1.6503 है0 भूमि स्थित है। वादी के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर [illegible] दिनांक 19.11.2022 को अपने मूल निवास स्थान शिवनगर अपनी खरीदशुदा भूमि की [illegible] करने आया तथा जमाबन्दी की ऑनलाईन नकल निकाली तब वादी [illegible] पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीदशुदा भूमि वर्तमान रिकार्ड में खातेदार हीरा पुत्र रत[illegible] विरासत से प्रतिवादी लगायत 5 के नाम दर्ज हो गयी है। वाद वर्णित भूमि का [illegible] की गयी, को हड़प करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी सम्पूर्ण आराजी में अपना विधि विरूद्ध व गलत विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है। इसलिए न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक हुआ है। वादी की ओर से निवेदन है कि वादी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा वाद वर्णित खरीदशुदा भूमि का खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 फरमाई जावे व वादी के द्वारा खरीदशुदा वादवर्णित भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:34 IST
Reason: SelfAttested

28.6.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपयोग–उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाधाकारित नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान लिये गये। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी ने उक्त कृषि आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है। विक्रेता श्री हीरा के वारिसान ने तथ्य को छुपाते हुए गलत तरीके से नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज करवा लिये है, जो विधि विरूद्ध है। इसलिए वादी को वाद वर्णित भूमि का हिस्सा सम्पूर्ण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर प्रकरण में जवाब पेश किया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवनगर के ख0न0 32 रकबा 1.6503 है0 भूमि में वादी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

28.6.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 82/2022

1. पवित्र कोठारी पुत्र सुरेन्द्र सिंह कोठारी जाति महाजन, निवासी सुजानगढ़ जिला चुरू, हाल नि0 नवीं मुम्बई (महाराष्ट्र)

....वादी

1. जिनकू पत्नि हीरा
2. पूरण मल पुत्र हीरा
3. मैना जांगिड़ पुत्री हीरा
4. राधा देवी पुत्री हीरा
5. लालचन्द जांगिड़ पुत्र हीरा.
   सर्वजाति खाती, सर्वनिवासी ग्राम सिनोदिया तह0 रूपनगढ़
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
7. उपपंजीयक रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

बनाम

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवनगर के ख0न0 32 रकबा 1.6503 है0 भूमि में वादी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के बाद वाद डिक्री हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 28.06.2023 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

सुखाराम पिण्डेल 28.6.23
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, रूपनगढ़
उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:34 IST
Reason: SelfAttested